

**न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म०प्र०)  
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)**

**दांडिक०प्र०क०-1362 / 07  
संस्थापित०दि० 11 / 12 / 07  
फाईल०नं.233504000092008**

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,  
थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

-----**अभियोजन**

**--: विरुद्ध :-**

1. सगन पिता मांजू उम्र 34 वर्ष,
2. मंगोबाई पति मांजू 59 वर्ष,  
दोनों:-जाति गोंड, नि० हमलापुर, बैतूल,  
जिला बैतूल (म०प्र०)
3. झुल्लीबाई उर्फ इन्द्राबाई पति मोहन उईके,  
उम्र 37 वर्ष, नि० हमलापुर, जिला बैतूल(म०प्र०)(फरार)

-----**अभियुक्तगण**

**--: निर्णय :-**

(आज दिनांक-06 / 10 / 2016 को घोषित)

1- अभियुक्तगण के विरुद्ध भा०दं०वि० की धारा 325, 34 के तहत अभियोग है कि दिनांक 11/11/07 को शाम करीब 4:00 बजे आरक्षी केन्द्र आमला, जिला बैतूल के फरियादी के घर के सामने रतेडा में सह अभियुक्तगण सगन, मंगोबाई, झुल्लीबाई के साथ मिलकर फरियादी कल्लोबाई को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसकी अग्रसरता में आपने एवं सह अभियुक्तगण ने फरियादी कल्लोबाई की लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की।

2- अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थिया कल्लोबाई ने जबानी रिपोर्ट किया कि आज शाम चार बजे की बात है उसकी बड़ी सास मंगोबाई से उसका घरेलु बात को लेकर आपस में झगड़ा हो रहा था कि इतने में बड़ी सास के दो लडके सगनू तथा झुल्ली दोनों ने मिलकर उसके साथ लकड़ी से मारपीट किया जो उसके दोनों हाथ की कलाई, पन्जा, भुजा तथा दोनों पैर की जांघ, पिंडली पर छाती में चोट आकर सूजन आई है, दर्द हो रहा है। झगड़ा का बीच बचाव मारपीट करते ननद लाली, मोहल्ले के किसन, कान्ती, सुकिला ने देखा है। मेडिकल मुलाहिजा करने के पश्चात् एक्सरे कराया गया एक्सरे रिपोर्ट में फेक्चर पाए जाने से धारा 325, 34 भा०दं०वि० की अपराध पंजीबद्ध किया गया।

3- रोजनामचा सान्हा के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार किया गया। जिसके आधार पर अप०क०-453/07 कायम कर अभियुक्तगण के विरुद्ध भा०दं०वि० धारा-325,34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 05/12/07

को नक्शा मौका तैयार किया गया। फरियादी का मेडिकल मुलाहिजा तैयार किया गया। दिनांक 05/12/07 एवं दिनांक 06/12/07 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 03, प्र0पी0 4 तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

4- अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्तगण का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्तगण ने अपने अभियुक्त परीक्षण में बताया कि वे निर्दोष हैं उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण ने अभियुक्त कथन के दौरान प्रकरण में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

5- **:- न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-**

1-“क्या दिनांक 11/11/07 को शाम करीब 4:00 बजे आरक्षी केन्द्र आमला, जिला बैतूल के फरियादी के घर के सामने रतेडा में सह अभियुक्तगण सगन, मंगोबाई, झुल्लीबाई के साथ मिलकर फरियादी कल्लोबाई को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसकी अग्रसरता में आपने एवं सह अभियुक्तगण ने फरियादी कल्लोबाई की लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की।

**:- निष्कर्ष एवं उसके आधार :-**  
**विचारणीय प्रश्न क0 1 का निराकरण**

6- अभियोजन साक्षी डॉ0 बी0पी0 चौरिया (अ0सा04) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 11/11/07 को सी0एच0सी0 आमला में पदस्थ था। उसने कल्लोबाई पति रोशनलाल गोंड, उम्र 30 वर्ष, निवासी रतेडा का चोटों का परीक्षण किया था। चोट क्रं. 1 सूजन दाहिने हाथ एवं कलाई के उपर की तरफ चोट, नं0 2 फटा हुआ घाव 1 से0मी0 गुणा 2 से0मी0 दाहिने कलाई के उपर की तरफ, चोट क्रं. 3 सूजन 2 इंच गुणा 2 इंच छाती के दाहिने तरफ, चोट क्रं. 4 सूजन 3 इंच गुणित 3 चौथाई इंच बाँये जाँघ के बाहरी तरफ, चोट क्रं0 6 सूजन 2 इंच गुणित 2 इंच बायीं जाँघ के बाहरी तरफ, चोट क्रं0 6 सूजन 3 इंच गुणित 4 इंच दाहिने जाँघ के बाहरी तरफ, चोट क्रं0 7 सूजन 4 इंच गुणित 2 तिहाई बाँयी स्केफुला पर था। आगे इस गवाह ने अपने अभिमत में बताया है कि सभी चोटें उसके परीक्षण के 6 घंटे के भीतर कड़ी एवं बोथरी वस्तु द्वारा आई हैं उसके द्वारा दी गई एम0एल0सी0 रिपोर्ट प्र0पी0 7 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस गवाह के द्वारा आहत कल्लोबाई के शरीर में पाई गई चोट को अपनी साक्ष्य से स्पष्ट रूप से बताया है। उक्त चोट आने के तथ्य को बचाव पक्ष की ओर से प्रश्नगत नहीं किया गया है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि घटना दिनांक को आहत कल्लोबाई के शरीर पर चोटें थी।

7- न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय है कि क्या घटना दिनांक को अभियुक्तगण के द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत कल्लोबाई को मारपीट कर घोर उपहति कारित की गई।

8- अभियोजन साक्षी लताबाई (अ0सा01), अभियोजन साक्षी ममताबाई (अ0सा02), अभियोजन साक्षी प्रेमलाल (अ0सा03), अभियोजन साक्षी जगन (अ0सा05) की साक्ष्य न्यायालय में पेश की गई। किन्तु उक्त गवाहों ने अपनी साक्ष्य की मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है। साथ

ही महत्वपूर्ण साक्षी फरियादी कल्लोबाई जो कि अदम पता हो चुकी है जबकि वह उक्त साक्षी आहत है और वह गवाह ही घटना घटित होने के तथ्यों को स्पष्ट कर सकती थी कि किस अभियुक्तगण के द्वारा सामान्य आशय के अग्रशरण में चोट कारित कर घोर उपहति कारित की।

9— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि सह अभियुक्तगण सगन, मंगोबाई, झुल्लीबाई के साथ मिलकर फरियादी कल्लोबाई को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसकी अग्रसरता में आपने एवं सह अभियुक्तगण ने फरियादी कल्लोबाई की लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं० 1 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

10— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि सह अभियुक्तगण सगन, मंगोबाई, झुल्लीबाई के साथ मिलकर फरियादी कल्लोबाई को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसकी अग्रसरता में आपने एवं सह अभियुक्तगण ने फरियादी कल्लोबाई की लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की। इस प्रकार भाद०वि० की धारा-325,34 का आरोप प्रमाणित न पाये जाने से उक्त अपराध में अभियुक्तगण सगन, मंगोबाई को दोषमुक्त किया जाता है।

11— प्रकरण में धारा 313 द०प्र०सं० के पूर्व प्रस्तुत आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं एवं अभियुक्तगण का धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

12— प्रकरण में आरोपी झुल्लीबाई उर्फ इन्द्राबाई फरार है। अतः प्रकरण के टाईटल पेज पर लाल स्याही से आरोपी झुल्लीबाई उर्फ इन्द्राबाई फरार है प्रकरण नष्ट न किया जावे की टीप अंकित की जावे।

13— प्रकरण में जप्त शर्तु सम्पत्ति का निराकरण नहीं किया जा रहा है क्योंकि प्रकरण में अभियुक्त झुल्लीबाई उर्फ इन्द्राबाई फरार है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं

मेरे बोलने पर टंकित।

दिनांकित कर घोषित किया गया।

(धनकुमार कुड़ोपा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

(धनकुमार कुड़ोपा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, जिला बैतूल म०प्र०